

MAINS MATRIX

TABLE OF CONTENT

1. क्या भारत को जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक नेतृत्व लेना चाहिए?
2. संयुक्त राष्ट्र महत्वपूर्ण है, एक संभावना के प्रतीक के रूप में
3. एआई-जनित छवियों को लेबल करने की आवश्यकता एक अच्छी शुरुआत है

क्या भारत को जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक नेतृत्व करना चाहिए?

संदर्भ:

यह चर्चा **COP30 (Conference of the Parties)** से पहले हो रही है, जो **नवंबर में ब्राज़ील के बेलें** में आयोजित होगी।

वर्तमान में कई विकसित देश जलवायु कार्रवाई में नेतृत्व करने से हिचक रहे हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है — **क्या भारत वैश्विक जलवायु नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है?**

प्रारंभिक संदर्भ

मुख्य आधार:

- अमेरिका ने *पेरिस समझौते* से अलगाव कर लिया है।
- **यूरोपीय संघ** नेतृत्व को लेकर अनिच्छुक है।
- **ब्राज़ील** (COP30 की मेज़बान) मुख्य रूप से *कार्यान्वयन* पर ज़ोर दे रही है।
- इस परिस्थिति में जलवायु नेतृत्व का एक *शून्य* बन गया है — क्या भारत इसे भर सकता है?

चर्चा का सारांश

1. हिशाम मुंदोल (HM): आशावादी पर यथार्थवादी दृष्टिकोण

- हर COP से पहले **“गिलास आधा भरा”** दृष्टिकोण होता है।
- पेरिस समझौते (2015) जैसे बड़े परिणामों की उम्मीद नहीं।
- **“एक्सिस ऑफ गुड”** की उभरती अवधारणा — सहयोगी देशों का समूह जो जलवायु पर मिलकर काम कर रहे हैं।
- भारत की *स्थिर और विश्वसनीय भूमिका* पर बल — भले ही ग्लैमरस न हो, पर भरोसेमंद है।
- अब भारत को अपने पूर्व वादों का *कार्यान्वयन* प्राथमिकता देनी चाहिए।

2. उल्का केलकर (UK): वित्त और कार्यान्वयन पर फोकस

- *वित्त* सबसे अहम पहलू है — केवल वादे नहीं, बल्कि *वास्तविक धन प्रवाह* आवश्यक।
- विकासशील देशों को *ऋण नहीं, अनुदान आधारित वित्त* चाहिए।

- भारत को 2035 तक जलवायु लक्ष्यों हेतु 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक आवश्यकता होगी।
- “बाकू से बेलें रोडमैप” का सुझाव — जिसमें सार्वजनिक व निजी वित्त दोनों शामिल हों।
- दानदाताओं और विकास बैंकों की भागीदारी ज़रूरी।

मुख्य प्रश्न एवं उत्तर

Q1. क्या कार्यान्वयन देशों का स्थानीय दायित्व नहीं होना चाहिए?

UK:

- COP में अक्सर बातचीत टूट जाती है और निर्णय आखिरी समय में होते हैं।
- बिना वित्त व तकनीकी पहुँच के कार्यान्वयन संभव नहीं।
- निजी निवेश को सार्वजनिक वित्त के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

Q2. आधिकारिक उत्सर्जन लक्ष्य 2°C से नीचे तापमान रखने में क्यों नाकाम हैं?

UK:

- मौजूदा लक्ष्य अपर्याप्त हैं; लागत ज़्यादा है, जिससे विकासशील देश पीछे रह जाते हैं।
- वित्त, तकनीक और क्षमता-वृद्धि में बड़ी कमी है।

HM:

- सहयोग नीचे से ऊपर (bottom-up) होना चाहिए, केवल बड़े बहुपक्षीय वादों पर निर्भर नहीं।
- उदाहरण: HIV/AIDS अभियान — स्थानीय नवाचार व समुदाय आधारित पहल से सफलता मिली।

Q3. देशों के बीच दोषारोपण से बचते हुए रचनात्मक वित्तीय समाधान कैसे लाए जाएँ?

HM:

- निजी क्षेत्र, दानदाताओं और स्थानीय नवाचारों को साथ लाना होगा।
- उदाहरण: कृषि में सौर ऊर्जा आधारित कोल्ड चेन सिस्टम — यह अनुकूलन व श्रम दोनों में मदद करेगा।

Q4. भारत के नए NDCs (राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान) और NAP (राष्ट्रीय अनुकूलन योजना) कैसे होने चाहिए?

HM:

- भारत का लक्ष्य: 2030 तक 50% बिजली गैर-जीवाश्म स्रोतों से।
- लगभग आधी क्षमता अब नवीकरणीय स्रोतों से है।
- नए NDCs में ग्रीन हाइड्रोजन और स्पष्ट नवीकरणीय लक्ष्य जोड़े जाएँ।
- छोटे कदम भी मजबूत इरादे का संकेत होंगे।

UK:

- भारत की सबसे बड़ी चुनौती औद्योगिक उत्सर्जन है, न कि केवल ऊर्जा उपयोग।

- औद्योगिक क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य तय होने चाहिए।
- उद्योग में विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग को बढ़ाना आवश्यक।

Q5. भारत जलवायु परियोजनाओं की प्राथमिकता कैसे तय करे?

UK:

- “प्राथमिक जलवायु परियोजनाओं की सूची” की पुरानी अवधारणा को पुनर्जीवित किया जा सकता है।
- कार्बन बाजार में क्रेडिट या सौर शेयर बेचने का सुझाव।
- अनुकूलन और शमन परियोजनाओं में स्पष्ट अंतर किया जाए।
- बेहतर समन्वय से वित्त प्रवाह अधिक पूर्वानुमानित बनेगा।

उल्लेखनीय उद्धरण

“भारत अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में कभी सबसे आकर्षक खिलाड़ी नहीं रहा, लेकिन उसके पास इससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज़ है — और वह है एक स्थिर हाथ।”

— हिशाम मुंदोल

समग्र निष्कर्ष

विषय	हिशाम मुंदोल	उल्का केलकर
भारत की भूमिका	स्थिर, विश्वसनीय और नैतिक	वित्त और कार्यान्वयन के व्यावहारिक

विषय	हिशाम मुंदोल	उल्का केलकर
	नेतृत्व की क्षमता	नेतृत्व की संभावना
वित्त	निजी क्षेत्र व दानदाताओं को शामिल करना	अनुदान-आधारित वित्त की माँग
कार्यान्वयन	स्थानीय और सहयोगी दृष्टिकोण	निरंतर वित्त प्रवाह की आवश्यकता
भविष्य के NDCs	नवीकरणीय, हाइड्रोजन, अनुकूलन को शामिल करें	औद्योगिक उत्सर्जन और दीर्घकालिक लक्ष्य पर बल

केंद्रीय विचार:

भारत को दिखावटी नेतृत्व की नहीं, बल्कि स्थिर, विश्वसनीय और व्यावहारिक नेतृत्व की आवश्यकता है — जो वित्तीय नवाचार, समावेशी साझेदारी और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के माध्यम से जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ा सके।

HOW TO USE IT

भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ वह वैश्विक जलवायु वार्ताओं में एक जिम्मेदार भागीदार से एक व्यावहारिक नेता के रूप में परिवर्तन कर सकता है।

यह नेतृत्व दिखावे पर नहीं, बल्कि विश्वसनीयता, कार्यान्वयन क्षमता, और विकसित व विकासशील विश्व के बीच सेतु

बनने की योग्यता पर आधारित होगा — साथ ही भारत अपने **विकासीय लक्ष्यों** को भी संतुलित रूप से साधेगा।

मुख्य प्रासंगिकता: जीएस पेपर III (पर्यावरण, अर्थव्यवस्था)

1. संरक्षण, पर्यावरणीय प्रदूषण और हास, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA):

कैसे उपयोग करें:

यह चर्चा का मुख्य क्षेत्र है — संपूर्ण विमर्श भारत की जलवायु रणनीति पर केंद्रित है।

मुख्य बिंदु:

भारत की विश्वसनीयता:

- हिशाम मुंदोल के “steady hand” (स्थिर हाथ) वाले विचार को उद्धृत करें।
- भारत पेरिस समझौते के अपने वादों पर अधिकांशतः खरा उत्तरा है — वर्तमान में लगभग 50% स्थापित विद्युत क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से है, जिससे वह अपने 2030 लक्ष्य की ओर समय से पहले बढ़ रहा है।

कार्यान्वयन की चुनौती:

- *उल्का केलकर* का जोर “वादों से परियोजनाओं” की दिशा में आगे बढ़ने पर है।

- भारत **National Solar Mission**, **PM Surya Ghar**, और **National Green Hydrogen Mission** जैसी योजनाओं के माध्यम से उदाहरण पेश कर सकता है।

अगला मोर्चा – औद्योगिक डीकार्बोनाइज़ेशन:

- भारत की आगामी चुनौती *औद्योगिक उत्सर्जन* में कमी लाना है।
- इसके लिए उद्योग क्षेत्र के लिए **महत्वाकांक्षी NDC लक्ष्य**, **ग्रीन हाइड्रोजन**, **ऊर्जा दक्षता**, और **विद्युतीकरण** को बढ़ावा देना आवश्यक होगा।

2. भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों का नियोजन, सं mobilization, विकास और रोजगार:

कैसे उपयोग करें:

यहां *वित्तीय आयाम* अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य बिंदु:

वित्तीय अंतर (Finance Gap):

- भारत के अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2035 तक 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।
- यह स्पष्ट करता है कि बिना *वित्तीय समाधान* के नेतृत्व संभव नहीं।

नवाचारी वित्त (Innovative Finance):

- पारंपरिक *अनुदान और ऋण* से आगे बढ़कर *निजी निवेश, दान निधि और विकास बैंकों* को शामिल करने की आवश्यकता है।
- “*बाकू से बेलें रोडमैप*” और *वैश्विक कार्बन बाजारों में सौर शेयर बेचने* जैसी अवधारणाएँ नवाचारी उदाहरण हैं।

नैतिक नेतृत्व (Moral Authority):

- भारत *अनुकूलन हेतु अनुदान आधारित वित्त* की मांग में नेतृत्व कर सकता है।
- विकासशील देशों के लिए ऋण-आधारित वित्त *ऋण-जाल* को और गहरा करता है — यह तर्क भारत की नैतिक स्थिति को मजबूत बनाता है।

द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर II**(अंतरराष्ट्रीय संबंध)****1. भारत से संबंधित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और समझौते:****कैसे उपयोग करें:**

भारत की भूमिका वैश्विक मंचों (विशेषकर COP) में यहां मुख्य है।

मुख्य बिंदु:**शून्य को भरना (Filling the Vacuum):**

- अमेरिका के पीछे हटने और यूरोपीय संघ की अनिच्छा से एक *नेतृत्व का शून्य* बना है।
- भारत “*Axis of Good*” जैसे सहयोगी समूहों के साथ मिलकर *पेरिस समझौते की गति* बनाए रख सकता है।

सेतु-निर्माता (Bridge Builder):

- भारत विकसित देशों (जिनकी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी है) और विकासशील देशों (जिन्हें विकास हेतु ऊर्जा चाहिए) के बीच *मध्यस्थ* की भूमिका निभा सकता है।
- यह *व्यावहारिक नेतृत्व और संतुलित कूटनीति* का उदाहरण होगा।

2. भारत और इसका पड़ोस (Neighbourhood Relations):**कैसे उपयोग करें:**

जलवायु नेतृत्व भारत की *क्षेत्रीय प्रभावशीलता* को भी बढ़ा सकता है।

मुख्य बिंदु:

- भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ *सौर ऊर्जा, आपदा-रोधी अवसंरचना, और जलवायु-स्मार्ट कृषि* में सहयोग साझा कर सकता है।
- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसे मंचों के माध्यम से भारत *समाधान*

प्रदाता (Solution Provider) के रूप में
उभर सकता है।

निष्कर्ष:

भारत का नेतृत्व *दिखावे* पर नहीं, बल्कि
विश्वसनीयता, नवाचार और समावेशन पर
आधारित होना चाहिए।

इस प्रकार, भारत विकास और पर्यावरण
संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए,
वैश्विक दक्षिण के लिए एक नया जलवायु
नेतृत्व मॉडल प्रस्तुत कर सकता है।

संयुक्त राष्ट्र: संभावनाओं का प्रतीक
(The UN matters, as a symbol of
possibility)

केंद्रीय विचार / मुख्य सिद्धांत (Central Theme / Core Thesis)

संयुक्त राष्ट्र (UN), अपनी 80वीं वर्षगांठ के
करीब पहुँचते हुए, *अपूर्ण लेकिन अपरिहार्य*
संस्था बनी हुई है —
यह “संभावना का प्रतीक” है, जो शांति,
सहयोग और न्याय के प्रति वैश्विक आशाओं को
समेटे हुए है।
हालाँकि, बदलती दुनिया में प्रासंगिक बने रहने
के लिए इसे विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
परिषद (UNSC) में *संरचनात्मक सुधार* करने
होंगे और अपने *स्थापना सिद्धांतों* के प्रति पुनः
समर्पित होना होगा।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास (Historical Context and Evolution)

पहलू	विवरण
उद्गम (Origin)	1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक और वैश्विक युद्ध को रोकने और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्थापना।
स्वरूप (Nature)	विजय से नहीं, <i>त्रासदी</i> से जन्मा संगठन — आदर्श नहीं, बल्कि <i>यथार्थवादी संस्था</i> जो शांति बनाए रखने के लिए बनी।
कार्यप्रदर्शन (Track Record)	मिश्रित परिणाम — <i>विफलताएँ</i> : रवांडा, स्नेब्रेनिका; <i>सफलताएँ</i> : नामीबिया, ईस्ट तिमोर।
चरित्र (Characterization)	“Work in Progress” — जो वैश्विक आकांक्षाओं को दर्शाता है, पर सदस्य देशों के विरोधाभासों को भी।

2. बदलता वैश्विक संदर्भ (Changing Global Context)

आयाम	अवलोकन
शक्ति संतुलन (Power Shift)	द्विध्रुवीय (शीत युद्ध) व्यवस्था से बहुध्रुवीय और खंडित विश्व में परिवर्तन।
बहुपक्षवाद का क्षरण (Erosion of Multilateralism)	राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद का उभार; वैश्विक सहयोग के प्रति अविश्वास।
पुराने ढाँचे (Outdated Institutions)	UNSC "1945 में जमे" हुए ढाँचे पर काम कर रहा है — WWII के विजेता राष्ट्रों द्वारा नियंत्रित, वर्तमान वास्तविकताओं से कटे हुए।

3. संयुक्त राष्ट्र की शक्तियाँ और योगदान (Strengths and Contributions of the UN)

कार्यक्षेत्र	प्रमुख योगदान
मानवीय कार्य (Humanitarian Action)	UNHCR, WFP, UNICEF जैसे संगठन

कार्यक्षेत्र	प्रमुख योगदान
	संकटों के दौरान राहत पहुँचाते हैं।
शांति स्थापना (Peacekeeping)	संघर्ष क्षेत्रों को स्थिर करने और हिंसा के प्रसार को रोकने में मदद।
मानक निर्धारण शक्ति (Normative Power)	मानवाधिकार, लैंगिक समानता, और सतत विकास जैसी सार्वभौमिक मूल्यों का प्रसार।
वैश्विक एजेंडा निर्धारण (Agenda Setting)	सतत विकास लक्ष्य (SDGs) जैसे ढाँचे अंतरराष्ट्रीय सहयोग को दिशा देते हैं।
संवाद का मंच (Platform for Dialogue)	विश्व का एकमात्र ऐसा मंच जहाँ सभी राष्ट्र समान रूप से विचार-विमर्श कर सकते हैं।

4. आलोचनाएँ और सीमाएँ (Criticisms and Limitations)

समस्या	व्याख्या
सदस्य देशों पर निर्भरता	UN स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता;

समस्या	व्याख्या
	सदस्यों की राजनीतिक इच्छा पर निर्भर।
वीटो शक्ति का दुरुपयोग (Veto Power Abuse)	P5 देशों के वीटो अधिकार से UNSC की वैधता कमजोर होती है।
चयनात्मक प्रवर्तन (Selective Enforcement)	शक्तिशाली देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन पर भी दंड से बच जाते हैं।
वित्तीय सीमाएँ (Financial Constraints)	अमेरिका जैसे देशों द्वारा अंशदान रोकने से संचालन बाधित होता है।
प्रतिनिधित्व की कमी (Representation Gap)	उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों का नेतृत्व संरचनाओं में अभाव।

5. सुधार की आवश्यकता और भारत की भूमिका (The Case for Reform and India's Role)

पहलू	विवरण
सुधार की आवश्यकता (Need for Reform)	UNSC और UN की संरचनाएँ वर्तमान शक्ति संतुलन को नहीं दर्शाती; वैधता और कार्यक्षमता दांव पर है।
भारत का दावा (India's Claim)	- विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र

- UN शांति मिशन में प्रमुख योगदानकर्ता
- उभरती वैश्विक आर्थिक व नैतिक शक्ति
- स्थायी सदस्यता से बहिष्करण एक “स्पष्ट विसंगति” (glaring anomaly) है।।

| भारत का दृष्टिकोण (India's Vision) | सार्वभौमिकता, समानता, और समावेशन पर आधारित सिद्धांतपरक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत।।

6. प्रस्तावित सुधार (Proposed Reforms)

सुधार क्षेत्र	सिफारिशें
UNSC सुधार	स्थायी और अस्थायी सदस्यता का विस्तार, ताकि वर्तमान भू-

सुधार क्षेत्र	सिफारिशें
	राजनीति का प्रतिबिंब हो।
संचालन क्षमता (Operational Agility)	निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाना, डिजिटल उपकरणों का उपयोग, और फील्ड मिशनों को सशक्त बनाना।
नैतिक अधिकार (Moral Authority)	दुष्प्रचार और धुवीकरण के दौर में सत्ता के समक्ष सत्य बोलने की क्षमता।
सदस्य देशों की प्रतिबद्धता (Member-State Commitment)	राजनीतिक इच्छाशक्ति और वित्तीय सहयोग आवश्यक — “केवल आलोचक नहीं, चैंपियन बनें।”

7. व्यापक प्रभाव (Broader Implications)

विषय	निहितार्थ
वैश्विक शासन (Global Governance)	UN सुधार बहुपक्षवाद की वैधता और प्रभावशीलता के लिए अनिवार्य।

विषय	निहितार्थ
भारत की कूटनीति (India's Diplomacy)	भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका और UNSC सीट के दावे को मजबूत करता है।
शांति और स्थिरता (Peace and Stability)	एक पुनर्जीवित UN नई चुनौतियों — जलवायु परिवर्तन, AI शासन, महामारी — से बेहतर ढंग से निपट सकेगा।

मुख्य उद्धरण / सीख (Key Quotes / Takeaways)

“संयुक्त राष्ट्र संभावनाओं का प्रतीक बना हुआ है — यह मानवता की सर्वोत्तम आशाओं और सबसे बुरी असफलताओं का प्रतिबिंब है।”

— शशि थरूर

“इसे केवल आलोचक नहीं, चैंपियन चाहिए; केवल सहभागी नहीं, साझेदार चाहिए।”

सारांशतः, संयुक्त राष्ट्र को अपने मूल आदर्श — शांति, समानता और सहयोग — की

पुनर्पुष्टि करते हुए, संरचनात्मक और नैतिक सुधारों को अपनाना होगा ताकि यह 21वीं सदी में भी वैश्विक आशा का प्रतीक बना रह सके।

HOW TO USE IT

संयुक्त राष्ट्र (UN) एक अपूर्ण लेकिन अनिवार्य संस्था है।

इसका मूल्य इसकी पूर्णता में नहीं, बल्कि इस

तथ्य में है कि यह अंतरराष्ट्रीय संवाद और सहयोग का एकमात्र सार्वभौमिक मंच है।

21वीं सदी में प्रासंगिक बने रहने के लिए, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में व्यापक सुधार केवल वांछनीय नहीं, बल्कि अनिवार्य हैं, ताकि यह वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित कर सके।

प्राथमिक प्रासंगिकता: सामान्य अध्ययन पेपर-II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

1. भारत से संबंधित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा समझौते

कैसे उपयोग करें:

यह सीधा अनुप्रयोग है। पूरा लेख संयुक्त राष्ट्र जैसे प्रमुख वैश्विक मंच पर केंद्रित है।

◆ **मुख्य बिंदु (Key Points):**

A. संतुलित दृष्टिकोण (A Balanced View):

संयुक्त राष्ट्र को केवल विफल संस्थान कहें। शशि थरूर के सूक्ष्म दृष्टिकोण को अपनाएँ — यह “संभावनाओं का प्रतीक (symbol of possibility)” है, जिसका मिश्रित रिकॉर्ड रहा है।

उत्तर में संतुलन हेतु उदाहरण दें —

- **सफलताएँ:** नामीबिया, ईस्ट तिमोर
- **विफलताएँ:** रवांडा, सेब्रेनिका

यह दिखाएगा कि आपका दृष्टिकोण आलोचनात्मक (critical) और विश्लेषणात्मक है।

B. सुधार की आवश्यकता (The Case for Reform):

यह उत्तर का मुख्य केंद्रबिंदु होना चाहिए।

- बताएं कि UN, विशेषकर UNSC, “1945 में जमी हुई संरचना” है।
- P5 (अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन) की वीटो शक्ति और उभरती शक्तियों की अनुपस्थिति इसकी वैधता और प्रभावशीलता दोनों को कमजोर करती है।

C. भारत की भूमिका और दांव (India's Stakes and Role):

पहलू	विवरण
भारत का दावा (India's Claim)	- विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र

- संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में प्रमुख योगदानकर्ता
- उभरती आर्थिक शक्ति
 - ➡ UNSC में स्थायी सदस्यता से भारत का बहिष्कार “एक स्पष्ट विसंगति (glaring anomaly)” है। | **भारत की दृष्टि (India's Vision)** | भारत समानता, सार्वभौमिकता और समावेशन पर आधारित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत करता है। |

संभावित प्रश्न (Potential Question):

“संयुक्त राष्ट्र अपनी सीमाओं के बावजूद वैश्विक बहुपक्षवाद की आधारशिला बना हुआ है।”

इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करें तथा सुधार की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा करें।

2. महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियाँ और मंच — उनकी संरचना और दायित्व

कैसे उपयोग करें:

यह लेख संयुक्त राष्ट्र की *संरचना और दायित्व (mandate)* की आलोचनात्मक समझ प्रदान करता है।

मुख्य बिंदु (Key Points):

- UNSC की *संरचना और वीटो शक्ति* से उत्पन्न असंतुलन को रेखांकित करें।
- UNSC की तुलना *UN महासभा (General Assembly)* से करें — ताकि यह दिखाया जा सके कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में गंभीर कमी (democratic deficit) है।

द्वितीयक प्रासंगिकता: GS पेपर-III (सुरक्षा) एवं GS पेपर-IV (नीतिशास्त्र)

1. GS Paper III – सुरक्षा चुनौतियाँ और प्रबंधन

कैसे उपयोग करें:

संयुक्त राष्ट्र की *शांति स्थापना भूमिकाएँ (peacekeeping)* अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का प्रमुख साधन हैं।

मुख्य बिंदु:

- भारत का *UN Peacekeeping Missions* में उल्लेखनीय योगदान।
- यह भारत की *वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता* को दर्शाता है और UNSC में *स्थायी सदस्यता के दावे* को सुदृढ़ करता है।

2. GS Paper IV – नीतिशास्त्र और मानवीय पहलू (Ethics and Human Interface)

कैसे उपयोग करें:

संयुक्त राष्ट्र का *मूल स्वरूप नैतिक ढाँचे* पर आधारित है।

मुख्य बिंदु:

- मानवाधिकार, लैंगिक समानता, और सतत विकास (SDGs) को बढ़ावा देना — *नैतिक शासन* का उत्कृष्ट उदाहरण।
- “*सत्ता के समक्ष सत्य बोलने (speak truth to power)*” की आवश्यकता — एक *नैतिक अनिवार्यता* है, विशेष रूप से आज की *दुष्प्रचार और शक्ति-राजनीति* की दुनिया में।

संक्षेप में:

संयुक्त राष्ट्र, अपनी सभी खामियों के बावजूद, *वैश्विक बहुपक्षवाद की रीढ़* बना हुआ है। परंतु इसे 21 वीं सदी के *यथार्थों* के अनुरूप ढालने के लिए *सामयिक, संरचनात्मक और नैतिक सुधार* अत्यावश्यक हैं — और भारत इस सुधार

प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने की क्षमता रखता है।

एआई-जनित सामग्री की लेबलिंग की आवश्यकता एक अच्छी शुरुआत है

मुख्य विचार (Core Thesis)

भारत सरकार का यह प्रस्ताव कि एआई (Artificial Intelligence) द्वारा निर्मित सामग्री पर अनिवार्य रूप से लेबल लगाया जाए, एक सकारात्मक और आवश्यक कदम है। यह कदम भ्रम फैलाने और धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने में मदद करेगा तथा इस विषय पर वैश्विक बहस को आगे बढ़ाएगा। हालाँकि, प्रभावी शासन के लिए केवल यह शुरुआत पर्याप्त नहीं है — इसके लिए गतिशील और फुर्तीले (agile) फॉलो-अप की आवश्यकता होगी।

1. समस्या: एआई-जनित सामग्री का प्रसार (The Problem: Proliferation of AI-Generated Content)

पहलू	विवरण
व्यापकता (Pervasiveness)	एआई-जनित “डीपफेक्स” और “स्लोप” तेजी से फैल रहे हैं — इनका उपयोग सस्ते विज्ञापनों से लेकर राजनीतिक व्यंग्यचित्रों तक में किया जा रहा है।

पहलू	विवरण
बढ़ती चिंताएँ (Rising Concerns)	2024 में तकनीक की तेज़ी से हुई प्रगति ने कई गंभीर चिंताएँ पैदा कीं — जैसे:

- चुनावी अखंडता (Electoral integrity)
 - भ्रामक सूचना (Disinformation) का प्रसार।
- | धोखाधड़ी और हानि (Deception and Harm) | तकनीक इतनी तेज़ी से विकसित हो रही है कि साप्ताहिक स्तर पर अधिक वास्तविक दिखने वाली छवियाँ बन रही हैं, जो आम जनता को भ्रमित कर सकती हैं।
- सार्वजनिक हस्तियों की छवि और आवाज़ का दुरुपयोग बढ़ गया है।

2. समाधान: अनिवार्य लेबलिंग (The Solution: Mandatory Labelling)

पहलू	विवरण
सरकारी पहल (Government Action)	भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत एआई-जनित सामग्री पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा।

पहलू	विवरण
कदम का औचित्य (Rationale for Action)	- झूठी जानकारी का तेज़ी से वायरल होना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।

- धोखेबाज़ तकनीक निरंतर विकसित हो रही है।।

| उद्योग समर्थन (Industry Support) | इस कदम को उद्योग जगत का भी समर्थन प्राप्त है — जैसे कि धूम्रपान चेतावनियों के विपरीत, इस नीति को पहले से ही स्वीकार्यता मिली है।।

| उदाहरण (Examples) | - Meta (Facebook) पहले से ही एआई-सामग्री पर लेबल लगाता है।

- C2PA गठबंधन “डिजिटल प्रोवेनेंस” (Digital Provenance) मानकों पर कार्य कर रहा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कोई छवि या वीडियो कहाँ और कैसे बना।।

3. आलोचनाएँ और सावधानियाँ (Criticisms and Caveats)

पहलू	विवरण
विधायी तरीका (Legislative Method)	“अधीनस्थ विधि (subordinate legislation)” के रूप में आईटी नियमों का उपयोग

पहलू	विवरण
	उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि ये संसद में व्यापक चर्चा के बिना इंटरनेट के बड़े हिस्से को नियंत्रित करते हैं।
फुर्तीलेपन की आवश्यकता (Need for Agility)	सरकार को आवश्यकतानुसार:

- ऐसे नियमों को शिथिल करना चाहिए जो अप्रासंगिक हो चुके हों।
 - और नए नियम तत्काल लागू करने चाहिए जहाँ ज़रूरत हो।।
- | नियमन की देरी (Regulatory Lag) | यह पुरानी चुनौती बनी हुई है कि तकनीकी नवाचार की गति हमेशा नियमन से आगे होती है — अतः नीति-निर्माण को अधिक लचीला और त्वरित बनाना आवश्यक है।।

निष्कर्ष (Conclusion):

एआई-जनित सामग्री की लेबलिंग की पहल सही दिशा में उठाया गया कदम है, परंतु यह सिर्फ शुरुआत है।

भारत को इस क्षेत्र में नीति नवाचार, तकनीकी सहयोग, और नैतिक डिजिटल शासन के लिए एक वैश्विक मानक (global benchmark) बनने की आवश्यकता है।

HOW TO USE IT

एआई-जनित सामग्री को **लेबल करने का कदम** तकनीकी नवाचार और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह सरकार के **21वीं सदी की चुनौती** के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है, लेकिन साथ ही यह भी रेखांकित करता है कि **तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र** को पारंपरिक विधायी तरीकों से विनियमित करना कितना कठिन है।

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा)

1. सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टेक्नोलॉजी, बायो-टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जागरूकता

कैसे उपयोग करें:

यह सबसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा मुद्दा है। यह लेख "जेनरेटिव एआई" जैसी आईटी प्रगति के सामाजिक प्रभाव पर केंद्रित है।

मुख्य बिंदु:

- **प्रौद्योगिकी की दोधारी तलवार:** एआई को एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में प्रस्तुत करें, जिसमें रचनात्मकता और उत्पादकता की अपार क्षमता है, लेकिन यह **"डीपफेक"** और **"स्लॉप"** (कम गुणवत्ता वाली, बड़े पैमाने पर उत्पन्न सामग्री) जैसी **भ्रामक सामग्री बनाने का हथियार** भी बन सकता है।

- **सक्रिय शासन (Proactive Governance):**

सरकार द्वारा **आईटी नियम, 2021** में संशोधन का प्रस्ताव **उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए नियामक ढांचा** तैयार करने का प्रयास है। यह दर्शाता है कि **प्रौद्योगिकी को कानूनी शून्य में विकसित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।**

- **गति की चुनौती:**

मुख्य समस्या — **"नियमन हमेशा नवाचार से पीछे रहता है"**। यह तकनीकी शासन की पारंपरिक दुविधा है। लेख में जिस **"गतिशील और लचीले" (dynamic & agile)** नियामक दृष्टिकोण की वकालत की गई है, वह एक **भविष्य-दृष्टि नीति** का संकेत देता है।

2. आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ

कैसे उपयोग करें:

एआई-जनित भ्रामक सूचना **अपरंपरागत (non-traditional)** सुरक्षा खतरा है।

मुख्य बिंदु:

- **चुनावी अखंडता के लिए खतरा:** डीपफेक वीडियो के माध्यम से **राजनीतिज्ञों की नकली छवियाँ** बनाकर जनता की राय को प्रभावित किया जा सकता है, जिससे **लोकतंत्र की नींव** —

निष्पक्ष चुनाव — कमजोर पड़ सकते हैं।

- सामाजिक सद्भावना पर प्रभाव: दुर्भावनापूर्ण तत्व एआई का उपयोग कर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने या घृणा फैलाने वाली सामग्री बना सकते हैं।

द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर II (शासन) एवं जीएस पेपर IV (नीति-नैतिकता)

1. जीएस II: शासन के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

कैसे उपयोग करें:

एआई सामग्री के लेबलिंग का प्रस्ताव एक विशिष्ट नीति हस्तक्षेप का उदाहरण है।

मुख्य बिंदु:

- विधायी प्रक्रिया की आलोचना: लेख एक महत्वपूर्ण आलोचना प्रस्तुत करता है — "उपविधायी प्रक्रिया" (subordinate legislation) जैसे आईटी नियमों का उपयोग, हालांकि फुर्ती और लचीलापन देता है, लेकिन संसदीय कानून जैसी लोकतांत्रिक वैधता और गहन समीक्षा से वंचित

रहता है।

यह डिजिटल युग में शासन की प्रक्रिया पर एक सूक्ष्म और परिपक्व टिप्पणी है।

2. जीएस IV: शासन में नैतिकता, ईमानदारी और अभिरुचि

कैसे उपयोग करें:

मुद्दे का मूल पहलू नैतिकता से संबंधित है।

मुख्य बिंदु:

- प्रौद्योगिकी का नैतिक उपयोग: अनिवार्य लेबलिंग का उद्देश्य पारदर्शिता और सूचित सहमति सुनिश्चित करना है। यह उपयोगकर्ताओं को यह जानने की अनुमति देता है कि वे एआई-निर्मित सामग्री से संवाद कर रहे हैं — जो सत्यनिष्ठा (truthfulness) के नैतिक सिद्धांत को बनाए रखता है।
- उत्तरदायित्व (Accountability): यह नीति रचनाकारों और प्लेटफार्मों पर उत्तरदायित्व लागू करती है, ताकि वे जनता को जानबूझकर गुमराह न करें।

To join our ANSWER EVALUATION PLANS

VISIT – WWW.MENTORAIAS.CO.IN